नं.	दिनांक	कार्यालय नोट्स, रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या निर्देश और हस्ताक्षर के साथ रजिस्ट्रार का आदेश	न्यायालय या न्यायाधीशों के आदेश
			डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 902 सन 2021 डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या संख्या 110 सन 2021 डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 113 सन 2021 डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 534 सन 2021 डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 356 सन 2022 डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 394 सन 2022 डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 395 सन 2022 डब्ल्यू.पी.एम.एस. संख्या 180 सन 2023 <u>माननीय मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे.</u> श्री भुपेश कांडपाल, श्री जितेंद्र चौधरी और डॉ. उद्योग शुक्ला, सुश्री नीति राणा, अधिवक्ता, श्री मुकेश कुमार कापरूवान की तरफ से - याचिकाकर्ता के वकील श्री राजेश पांडे, उत्तराखंड राज्य के स्थायी वकील। 2. रिट याचिकाओं के इन समूह में, याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पत्थरों/मलबे के संबंध में याचिकाकर्ताओं से की गई रॉयल्टी की मांग को चुनौती दी है, जो सड़क के निर्माण के लिए पहाड़ी काटने की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त की गई थी, जिसका उपयोग याचिकाकर्ताओं द्वारा उसी परियोजना यानी सड़क निर्माण की परियोजना में किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे पहाड़ी कटाई के दौरान प्राप्त लघु खनिजों के संबंध में मात्र 50 प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं; जबकि, जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें उत्तराखंड लघु खनिज (रेत, बजरी, बोल्डर) उठाने की नीति, 2016 का लाभ नहीं दिया है। इन सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने रॉयल्टी के रूप में उनके द्वारा देय राशि में 50 प्रतिशत छूट का दावा करने के लिए 2016 की खनन नीति पर भरोसा किया है। 3. चूँकि इन रिट याचिकाओं में कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उनकी एक साथ सुनवाई

			की गई और एक सामान्य निर्णय द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। यद्यपि संक्षिप्तता के लिए, अकेले 2021 की रिट याचिका (एम/एस) संख्या 902 के तथ्यों पर विचार और चर्चा की जा रही है। 4. इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की मांग की हैः i. सचिव, औद्योगिक विकास उत्तराखंड द्वारा पारित (परिशिष्ट संख्या 12) पत्र संख्या 1798/VII- A-1/2020/ 9(69)/20 दिनांक 01/12/2020 को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें। । ii. प्रतिवादी द्वारा मांगी गई रॉयल्टी की वसूली न करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देते हुए अनिवार्य प्रकृति का एक रिट परमादेश या निर्देश जारी करें। iii.प्रतिवादी को केंद्र सरकार के कार्यवृत्त के अनुसार रॉयल्टी को माफ करने का निर्देश देते हुए अनिवार्य रूप से एक रिट परमादेश या निर्देश जारी करें। 5. याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें बोर्डर रोड संगठन द्वारा सड़क निर्माण का अनुबंध दिया गया था और जिला मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी ने याचिकाकर्ता को परियोजना में पहाड़ी काटने के दौरान एकत्र किए गए पत्थरों/मलबे का उपयोग करने की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान अनुमति के खंड 11 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि पत्थरों/मलबे को इकट्ठा करने का काम इस तरह से किया जाएगा कि यातायात का प्रवाह बाधित न हो। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने लघु खनिजों (रेत, बजरी, बोल्डर) को उठाने के संबंध में राज्य सरकार की नीति पर भरोसा जताया है, जिसे 30.09.2016 पर अधिसूचित किया गया था, जिसमें प्रावधान है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रॉयल्टी का भुगतान संबंधित अवधि के लिए निर्धारित रॉयल्टी की दर के 50 प्रतिशत की दर से किया जाएगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि लघु खनिज, जिसका याचिकाकर्ता ने सड़क निर्माण में उपयोग किया है, उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से एकत्र किया गया था, इसलिए, 30.09.2016 पर अधिसूचित लागू नीति के खंड 3 (e) में निहित प्रावधान को देखते हुए, उन्हें सड़क निर्माण में उनके द्वारा उपयोग किए गए पत्थरों/मलबे के लिए 100% रॉयल्टी का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। याचितकर्ता के वकील ने 23 और 24.01.2020 पर गुरुग्राम में भारत सरकार के माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और

			एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के मिनट पर भी भरोसा जताया है। बैठक के उक्त कार्यवृत्त का प्रासंगिक उद्धरण, जिस पर भारी निर्भरता रखी गई थी, नीचे निकाला गया है: " राज्य सरकार ठेकेदारों को मुफ्त में खुदाई की गई सामग्री का उपयोग करने की अनुमति दे सकती है और इन पर रॉयल्टी माफ कर दी जाएगी। "बुलढाना पैटर्न "सभी के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा तुरंत जारी की जाने वाली पारंपरिक अवधि के अनुसार नए नवाचारों और सिद्ध प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए दोषपूर्ण देयता अवधि पर एक नीति परिपत्र लागू हुई है । 6. इसके विपरीत, विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करते हैं कि 2016 की नीति, जिस पर याचिकाकर्ता निर्भर है , नदी के तल से रेत और पत्थरों को चुनने से संबंधित है। वह उक्त नीति के नाम का उल्लेख करते हैं, जो "उत्तरखंड उत्थान (बालू, बजरी, बोल्डर) चूगन नीति, 2016" है। "चुगान" अभिव्यक्ति को पैराग्राफ नं. 2 में परिभाषित किया गया है। 2 उक्त नीति का खंड (ठ) निम्नानुसार है: (ठ) " चुगान " का तात्पर्य नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रित करने हेतु नदी द्वारा निक्षेपित/जमा उपखनिज बालू बजरी बोल्डर, का मानव शक्ति से निकासी । 7. इस प्रकार, विद्वान राज्य वकील प्रस्तुत करते हैं कि अभिव्यक्ति " चुगान " का अर्थ नदी को चैनलाइज़ करने की दृष्टि से नदी के तल से रेत, बजरी, बोल्डर को हाथ से उठाना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बरसात के मौसम में तटों के किनारे न टूटे। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करता है कि उक्त नीति याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं की जा सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने सड़क निर्माण के समय पहाड़ी काटने के काम के दौरान एकत्र किए गए पत्थरों/मलबे को प्राप्त किया है और उनका उपयोग किया है, जो नीति के दायरे में नहीं आता है। इस प्रकार, उनके अनुसार, याचिकाकर्ता रॉयल्टी के रूप में देय राशि में 50 प्रतिशत छूट के हकदार होंगे, मात्र तभी जब वे सड़क निर्माण कार्य के लिए पहाड़ी क्षेत्रों से नदी के तल की सामग्री को हटा देंगे। वह अग्रेतर प्रस्तुत करता है कि चूंकि यहां ऐसा नहीं है और याचिकाकर्ताओं द्वारा नदी के तल से पत्थर/पत्थरों का कोई हिस्सा एकत्र नहीं किया गया है, इसलिए, विद्वान राज्य वकील के अनुसार, नीति के खंड 3 (ई) में दी गई छूट याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होगी। 8. राज्य के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान जवाबी शपथ पत्र के पैराग्राफ नं. 4 पर डाला है , जो इस

			प्रकार हैः "4. जैसा कि कहा गया है, रिट याचिकाओं के पैराग्राफ संख्या 2 की सामग्री स्वीकार नहीं की जाती हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तराखंड लघु खनिज (रियायत) (संशोधन) नियम, 2017, जैसा कि अधिसूचना सं. उत्तराखंड सरकार की औद्योगिक विकास धारा-1 द्वारा अनुच्छेद संख्या 29ए (9) में जारी 1582/7-1/2007/31 खा/17 दिनांक 31-10 2017 में यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य रेत, बजरी, बोल्डर के लिए उत्तराखंड लघु खनिज (रियायत) नियम 2001 की पहली अनुसूची में निर्धारित रॉयल्टी का 50 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्रों के लिए लागू होगा। उत्तराखंड लघु खनिज (रियायत) (संशोधन) नियम 2016 के पैरा सं. 14 में, जैसा कि अधिसूचना सं. 211/VII-1/24 ख/2007 दिनांक 26-2-2016 औद्योगिक विकास धारा-1, उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी, 100 प्रति टन, रुपये की दर से रॉयल्टी, खंडों/सीमाओं (जिनका कोई भी पक्ष 5 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है) के लिए तय किया गया है।/बजरी/मिट्टी का बल्लास्ट सिंगल/मोरम पहाड़ों/रेत के क्षरण के कारण बनाया गया है। याचिकाकर्ता फर्म के संबंधित निर्माण स्थल पर उपयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री, पहाड़ों के क्षरण के कारण पैदा हुए खनिजों से संबंधित है जो नदी के तल के खनिजों से अलग है, जिसके कारण रॉयल्टी पर 50 प्रतिशत छूट का आकलन उस पर लागू नहीं होता है। यह अग्रेतर प्रस्तुत किया जाता है कि, कार्यालय ज्ञापन संख्या 1561/7-1/80 खा/2016 दिनांक 30-9-2016 का पैराग्राफ 3 (ई) नदी के तल से रेत, बजरी, बाउंडर के संग्रह से संबंधित है। चूंकि याचिकाकर्ता ने मोटर सड़क के निर्माण/चौड़ीकरण के लिए पहाड़ी काटने के माध्यम द्वारा खुदाई किए गए बोल्डर का उपयोग किया है, जिसके कारण मूल्यांकन नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता फर्म के मामले में रॉयल्टी पर 50 प्रतिशत की छूट लागू नहीं होती है। 9. राज्य के विद्वान वकील बताते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने 23 और 24.01.2020 को गुरुग्राम में माननीय मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर अवलम्ब किया है, जबकि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत , लघु खनिज पर रॉयल्टी लगाने के लिए राज्य सरकार ही सक्षम है। इस प्रकार, उनके अनुसार, उक्त बैठक में लिया गया निर्णय, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के आरटीएच और एमएसएमई मंत्रालय के माननीय मंत्री ने की थी, राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।

			उन्होंने अग्रेतर कहा कि उक्त बैठक में राज्य सरकार से मात्र यह अनुरोध किया गया था कि ठेकेदारों को बिना किसी रॉयल्टी का भुगतान किए खुदाई की गई सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार किया जाए और राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में देय राशि में छूट देने का कोई सकारात्मक निर्देश नहीं दिया गया था। 10. यह न्यायालय, विद्वान राज्य वकील द्वारा की गई प्रस्तुतीकरण में महत्व पाता है। 2016 की नीति, जिस पर याचिकाकर्ताओं निर्भर है, नदी तल सामग्री से संबंधित है। उक्त नीति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "चुगान" को नदी के तल से रेत, बजरी, बोल्डर को हाथ से उठाने के रूप में परिभाषित किया गया है। यह याचिकाकर्ताओं का मामला नहीं है कि उन्होंने नदी के तल द्वारा रेत, बजरी, बोल्डर आदि को हाथ द्वारा उठाया है और वास्तव में, उनके सामने यह स्वीकार किया जाता है कि सड़क निर्माण में उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री सड़क के निर्माण/चौड़ीकरण के लिए पहाड़ी काटने के माध्यम द्वारा प्राप्त की गई थी। इस प्रकार, उक्त नीति के खंड 3 (ई) में दी गई छूट याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है. और यह मात्र उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो नदी तल की सामग्री उठाते हैं या हाथ से उठाते हैं। रॉयल्टी प्रत्येक व्यक्ति का वैधानिक दायित्व है जो लघु खनिज प्राप्त करता है, इसलिए 23 और 24.01.2020 को गुरुग्राम में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय को पहाड़ी कटाई के दौरान खुदाई किए गए लघु खनिज पर रॉयल्टी का भुगतान करने के वैधानिक दायित्व पर सवाल उठाने के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है। कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से कोई अन्य प्रस्तुतीकरण नहीं किया गया था। 11. इस प्रकार, इस न्यायालय को कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 01.12.2020 के विवादित आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं मिलती है। 12. तदनुसार, रिट याचिकाएं विफल हो जाती हैं और खारिज कर दी जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। (मनोज कुमार तिवारी, ए. सी. जे) 07.11.2023 अर्पन